

मुकदमों का विवरण

पश्चिम बंगाल राज्य और ओआरएस. v.

मितुल कुमार जाना

(सिविल अपील सं. 2011 की 8510) 22 अगस्त, 2023

[जे. के. माहेश्वरी और के. वी. विश्वनाथन, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी के नेतृत्व में रिट याचिका को अनुमति देने, प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को रद्द करने और पश्चिम बंगाल पुलिस बल में प्रत्यर्थी की कांस्टेबल के रूप में नियुक्ति का निर्देश देने में गलती की है।

सेवा कानून-भौतिक जानकारी का दमन-जब नहीं:

आयोजित किया गया: सत्यापन सूची में मांगी गई जानकारी किसी भी मामले में अदालत द्वारा गिरफ्तारी, निरोध और दोषसिद्धि के बारे में थी-मांगी गई जानकारी के जवाब में अपीलार्थी ने "नहीं" के रूप में जवाब दिया-मांगी गई जानकारी की सामग्री के अनुसार और अपीलार्थी द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार, उसे लंबित आपराधिक मामले के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी-इसलिए, अपीलार्थी द्वारा ऐसी जानकारी की आपूर्ति 'भौतिक जानकारी के दमन' अभिव्यक्ति के भीतर नहीं आती है-न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने सही पाया कि यह भौतिक जानकारी के दमन का मामला नहीं है-इसके अलावा, अपीलार्थी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला छोटे उद्देश्यों के लिए था-आरोप न तो जघन्य/गंभीर अपराध से संबंधित थे, न ही नैतिक पतन से जुड़े अपराध से संबंधित थे।

613

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

पश्चिम बंगाल पुलिस बल में सिपाही के पद पर, उपयुक्तता और पूर्ववृत्त का आकलन करने में विवेकपूर्ण तरीके से विवेक का प्रयोग करते हुए।[पैरा 10,12,14 और 15]

सेवा कानून-लंबित आपराधिक मामला, दी गई जानकारी-बरी-नियोक्ता का विवेक:

आयोजित किया गया: यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां लंबित आपराधिक मामले के बारे में जानकारी सच्चाई से प्रस्तुत की गई है और उसमें बरी होने पर, एक नियोक्ता को नियुक्ति पत्र जारी करते समय पूर्ववृत्त पर विचार करने का विवेकाधिकार है।[पैरा 14]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

विभाग.गृह सचिव।, ए. पी. और अन्य बनाम बी. चिन्नाम नायडू (2005) 2 एससीसी 746:
[2005] 1 एस. सी. आर. 1147; अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य

(2016) 8 एससीसी 471:[2016] 7 एस. सी. आर. 445-निर्भर।

आर. राधाकृष्णन बनाम पुलिस महानिदेशक और अन्य (2008) 1 एससीसी 660:[2007]
11 एस. सी. आर. 456; सचिव।, केंद्रीय विद्यालय संगठन

& अन्य बनाम राम रतन यादव (2003) 3 एस. सी. सी. 437:[2003] 2 एस. सी. आर.
361-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2011 की सिविल अपील सं. 8510।

2010 के डब्ल्यू. पी. एस. टी. सं. 600 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांक
16.12.2010 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

सौम्या चक्रवर्ती, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री आस्था शर्मा, संजीव कौशिक, अधिवक्तागण
अपीलार्थियों के लिए।

अभिजीत कुमार चट्टोपाध्याय, सुश्री स्वाति, संदीप लांबा, इंद्रेश चंद्र सोनकर, भास्कर देब,
सायंतन तालपात्रा, राम एकबल राँय, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मित्तल कुमार जाना

615

सर्वोच्च
न्यायालय का
निर्णय/आदेश

न्यायाधीश जे. के. माहेश्वरी, जे.

1. यह अपील प्रत्यर्थी मितुल कुमार जाना के नेतृत्व में '2010 के डब्ल्यू. पी. एस. टी. संख्या
600' में पारित कलकत्ता में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय से उत्पन्न होती है। उच्च न्यायालय
ने उक्त निर्णय द्वारा रिट की अनुमति दी और पश्चिम बंगाल प्रशासनिक न्यायाधिकरण (संक्षेप में
"न्यायाधिकरण") द्वारा पारित दिनांक 23.11.2010 के आदेश को निर्धारित किया और
अपीलार्थी नं. 2, अर्थात्, पुलिस अधीक्षक प्रत्यर्थी को पश्चिम बंगाल पुलिस बल में सिपाही के
रूप में नियुक्त करेगा।

2. स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस मामले के तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी अपीलार्थी सं. 2- पुलिस अधीक्षक, दक्षिण 24 परगना, माप, शारीरिक दक्षता परीक्षण और क्रमशः 06.09.2008, 09.09.2008 और 10.09.2008 पर साक्षात्कार के लिए। उक्त चयन में उन्हें योग्य घोषित किया गया और पश्चिम बंगाल पुलिस बल में कांस्टेबलों की योग्यता सूची में रखा गया। इसके अनुसार, प्रत्यर्थी को 'पुलिस सत्यापन सूची' प्रदान की गई और उसे अपनी लिखावट में दर्ज करने के लिए कहा गया। उन्होंने इसे निर्धारित समय के भीतर नियुक्ति प्राधिकारी के पास जमा कर दिया। स्थानीय पुलिस स्टेशन द्वारा भेजी गई पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अनुसार, यह आरोप लगाया गया था कि प्रत्यर्थी को काकद्वीप पुलिस स्टेशन में दर्ज 2007 का मामला संख्या 124, दिनांक 03.08.2007 वाले आपराधिक मामले में फंसाया गया था। जाँच के बाद, 31.08.2007 पर आरोप पत्र दायर किया गया था, जिसके बाद, उनके साक्षात्कार और शारीरिक परीक्षण के समय मुकदमा लंबित था। पुलिस रिपोर्ट ने आगे संकेत दिया कि प्रत्यर्थी को 16.08.2007 पर अग्रिम जमानत और 27.08.2007 पर नियमित जमानत दी गई थी।

3. उक्त सत्यापन प्रपत्र की जांच करने पर, प्राधिकरण ने एक राय बनाई कि प्रत्यर्थी ने एक लंबित आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता के बारे में भौतिक जानकारी को दबा दिया था। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत सत्यापन सूची राय के लिए पश्चिम बंगाल की खुफिया शाखा को भेजी गई थी। वीडियो मेमो नं. 3875/एस-503-08 एसए-II/वीआर, दिनांक 09.02.2009, पुलिस उप महानिरीक्षक, खुफिया शाखा ने सूचित किया था कि प्रत्यर्थी ने एक आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता के तथ्य को दबा दिया है और चूंकि प्रत्यर्थी के खिलाफ मामला विचाराधीन है, इसलिए इस स्तर पर उसकी उपयुक्तता के लिए कोई राय नहीं दी जा सकती है। दिए गए तथ्यों में, 616 का क्रम

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

अपीलार्थी द्वारा नियुक्ति जारी नहीं की गई थी। हालाँकि, प्रत्यर्थी ने न्यायाधिकरण के समक्ष 2010 के मूल आवेदन संख्या 343 का नेतृत्व किया, जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस बल में कांस्टेबल के पद के लिए उनके चयन के कारण नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश मांगे गए थे। अधिकारियों ने अपने जवाब का नेतृत्व किया और तर्क दिया कि प्रत्यर्थी एक आपराधिक मामले में शामिल था और इसकी जानकारी होने के बावजूद, उसने सत्यापन सूची में इसका खुलासा नहीं किया था और लंबित आपराधिक मामले के बारे में जानकारी को दबा दिया था, इसलिए वह नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है।

4. न्यायाधिकरण ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से मूल आवेदन का निपटारा किया और यह राय थी कि यह प्रत्यर्थी द्वारा जानकारी को दबाने का मामला नहीं है। यह कहा गया था कि, लंबित आपराधिक मामले में उसे बरी किए बिना, नियुक्ति पत्र जारी करने के निर्देश की सिफारिश

नहीं की जा सकती है और कहा गया है कि, यदि प्रत्यर्थी को बरी कर दिया जाता है, तो उसके मामले पर अपीलार्थी द्वारा नियमों के अनुसार विचार किया जा सकता है।

5. व्यथित होकर, प्रत्यर्थी ने कलकत्ता में उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका को प्राथमिकता दी और उचित निर्देशों के लिए प्रार्थना की। न्यायालय ने विवादित फैसले में कॉलम नं. सत्यापन सूची के 12 में कहा गया है कि उक्त कॉलम में मांगी गई जानकारी गिरफ्तारी, हिरासत और दोषसिद्धि की थी। उक्त कॉलम में पूछे गए विवरण के अनुसार, लंबित आपराधिक मामले के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने भौतिक जानकारी के दमन के मुद्दे पर न्यायाधिकरण के निर्णय से सहमति व्यक्त की और यह राय थी कि क्योंकि प्रत्यर्थी को अभी तक सक्षम न्यायालय द्वारा आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है, इसलिए उसके पक्ष में निर्दोष होने का अनुमान अभी भी बना हुआ है। इसलिए, अपीलार्थी को लंबित आपराधिक मामले के अंतिम परिणाम के अधीन नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया था। उक्त आदेश से व्यथित होने के कारण, यह अपील पश्चिम बंगाल राज्य के नेतृत्व में की गई है।

6. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी की नियुक्ति का निर्देश देने में त्रुटि की, विशेष रूप से उसके खिलाफ एक आपराधिक मामले के लंबित होने के दौरान। उक्त निर्देश पुलिस बल के मनोबल को प्रभावित करेगा और इसमें जनता के विश्वास को कम करेगा। सत्यापन सूची में जानकारी प्रस्तुत करने के उद्देश्य पर जोर देते हुए, यह आग्रह किया गया कि पुलिस विभाग को विकृत करने से बचने के लिए सार्वजनिक रोजगार में पद के लिए अपनी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए किसी व्यक्ति का चरित्र एक आवश्यक संगत है। उक्त विवाद के समर्थन में, निर्भरता को पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मित्तल कुमार जन पर रखा गया है।

617

[जे. के. माहेश्वरी, जे.]

आर. राधाकृष्णन बनाम के मामले में एक निर्णय पर। पुलिस महानिदेशक और अन्य, 2008

(1) एस. सी. सी. 660 "यह आग्रह करने के लिए कि एक के बरी होने पर भी

उम्मीदवार, उसे अभी भी एक आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में सामग्री जानकारी के दमन के कारण नियुक्ति से इनकार किया जा सकता है।

7. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने सत्यापन सूची के कॉलम 12 के विवरण का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया कि मांगी गई जानकारी अस्पष्ट थी और पूछी गई जानकारी की प्रकृति को देखते हुए, प्रत्यर्थी को लंबित आपराधिक मामले का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी। न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने उक्त मुद्दे की सराहना की है और इस तथ्य को सही तरीके से दर्ज किया है कि यह भौतिक जानकारी को दबाने का मामला नहीं है, और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को लंबित आपराधिक मामले में निर्णय के अधीन नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश देने में सही था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि उक्त आपराधिक मामले में

प्रत्यर्थी को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया है। इसलिए, अपीलार्थियों के समक्ष ऐसे निर्देशों को लागू करने में कोई बाधा नहीं है। फैसले पर निर्भरता रखना

"सचिव., विभाग। गृह सचिव।, एपी और अन्य बनाम। बी. चिन्नाम नायडू,

(2005) 2 एस. सी. सी. 746 ", यह आग्रह किया जाता है कि चूंकि लंबित आपराधिक मामले के बारे में उल्लेख करने की विशिष्ट आवश्यकता सत्यापन सूची में नहीं मांगी गई थी, इसलिए प्रत्यर्थी को सामग्री जानकारी के दमन के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। 8. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और रखी गई सामग्री के अवलोकन पर, यह विवाद में नहीं है कि दिनांक 04.06.2012 के फैसले के माध्यम से, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी), काकद्वीप जिला, दक्षिण 24 परगना ने प्रत्यर्थी को आपराधिक मामला संख्या 362/2004 में आई. पी. सी. की धारा 147/149/447 323/506 के आरोपों से बरी कर दिया। अभिलेख पर लाए गए साक्ष्य की सराहना करने के बाद, न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष दोष को घर लाने और प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोपों को साबित करने में निराशाजनक रूप से विफल रहा है। अभियुक्त व्यक्तियों के बरी होने के कारण, आपराधिक मामले के लंबित रहने के संबंध में आपत्ति अब नहीं रहती है। इसके अलावा, उक्त मामले के अभियोजन पक्ष की कहानी के अवलोकन पर, विवाद का कारण एक मार्ग में प्रवेश करना था जिसके लिए उप-मंडल मजिस्ट्रेट द्वारा कुर्की का आदेश पारित किया गया था। जैसा कि आरोप लगाया गया था, अभियुक्त व्यक्तियों ने बाड़ लगाना शुरू कर दिया जिसका शिकायतकर्ता ने विरोध किया। उक्त घटना के लिए प्रत्यर्थी सहित आठ अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उक्त निर्णय में प्रत्यर्थी का नाम "मृदुल जन" के रूप में दिखाया गया था न कि उसका सही नाम, यानी 618 के रूप में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

"मितुल कुमार जाना "। हालाँकि, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है। हमारे सुविचारित विचार में, उक्त आरोप नैतिक अधमता का कारण नहीं बनते हैं और कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा चुने गए उम्मीदवार के लिए सार्वजनिक रोजगार के लिए कोई बाधा पैदा नहीं करेंगे।

9. मामले के तथ्यों में, अपीलार्थी द्वारा उठाई गई दूसरी आपत्ति सत्यापन सूची में सामग्री जानकारी के दमन से संबंधित है। उक्त आपत्ति की स्थिरता का विश्लेषण करने के लिए, सत्यापन सूची के कॉलम संख्या 12 में जानकारी मांगने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा प्रासंगिक हो सकती है और तैयार संदर्भ के लिए, इसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जाता है;

"क्या आपको किसी न्यायालय द्वारा गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है या दोषी ठहराया गया है यदि उत्तर 'हां' है तो गिरफ्तारी या निरोध या दोषसिद्धि का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए और सजा दी जानी चाहिए।

जवाब:नहीं "

10. उपरोक्त कॉलम में मांगी गई जानकारी के विवरण के केवल अवलोकन से संकेत मिलता है कि यह किसी भी मामले में न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी, निरोध और दोषसिद्धि के संबंध में था। यदि उत्तर 'हाँ' था, तो गिरफ्तारी या निरोध या दोषसिद्धि और सजा का पूरा विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। यदि उत्तर नकारात्मक था, तो कोई अन्य विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी। हाथ में मामले में, मांगी गई जानकारी के जवाब में प्रत्यर्थी ने "नहीं" के रूप में जवाब दिया। मांगी गई जानकारी की सामग्री के अनुसार और प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार, उसे लंबित आपराधिक मामले के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, प्रत्यर्थी द्वारा ऐसी जानकारी की आपूर्ति 'भौतिक जानकारी का दमन' अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आती है। इस न्यायालय को बी. चिन्नाम नायडू (उपरोक्त) के मामले में इसी तरह के मुद्दे पर विचार करने का अवसर मिला था। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है -

“9. ...ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार और न्यायाधिकरण ने इस आधार पर कार्रवाई की है कि प्रत्यर्थी को गिरफ्तारी या मामले के लंबित होने के तथ्य का संकेत देना चाहिए था, हालांकि सत्यापन प्रपत्र के कॉलम 12 में ऐसी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं थी। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ऐसी आवश्यकता को प्रमाणन प्रपत्र में पढ़ा जाना चाहिए। हमारे पास इस तरह के तर्क को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। 619 का उल्लेख करने के लिए कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं थी।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मित्तल कुमार जाना [जे. के. माहेश्वरी, जे.] 620 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

कोई मामला लंबित है या क्या आवेदक को गिरफ्तार किया गया था। जहाँ तक कॉलम 12 का संबंध है, विशिष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी को किसी भी दमन का दोषी नहीं पाया जा सकता है।”

11. उपरोक्त मामले में, न्यायालय ने निर्णय को अलग किया है

“केंद्रीय विद्यालय संगठन और अन्य बनाम राम रतन यादव, (2003)

3 एस. सी. सी. 437 ", इस बहाने से कि उक्त मामले में सत्यापन सूची में मांगी गई जानकारी का विवरण अलग था। वर्तमान मामले के तथ्यों में, प्रत्यर्थी से सत्यापन प्रपत्र में मांगी गई जानकारी अस्पष्ट थी। चिन्नाम नायडू (उपरोक्त) के मामले में भी यही स्थिति थी। इसलिए, उक्त निर्णय इस मामले के तथ्यों में पूरी तरह से लागू होता है। यद्यपि उक्त मामले में, सरकारी सेवा में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए वांछनीयता के बारे में निर्णय नहीं लिया गया था क्योंकि यह विषय नहीं था।

12. ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, पुलिस उप महानिरीक्षक, खुफिया शाखा द्वारा दी गई राय और प्रत्यर्थी द्वारा भौतिक जानकारी के दमन के संबंध में न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष विभाग द्वारा लिए गए रुख को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने सही निर्णय दर्ज किया है कि यह भौतिक जानकारी के दमन का मामला नहीं है और हम इस तरह के निर्णय को लागू करते हैं। साथ ही, प्रत्यर्थी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला छोटी-मोटी बातों के लिए था। उक्त मामले में आरोप न तो जघन्य/गंभीर अपराध के थे, न ही नैतिक अधमता से जुड़े अपराध से संबंधित थे। उक्त मामले में, प्रत्यर्थी को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया था क्योंकि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा था। इसलिए, हमारे विचार में, प्रथम दृष्टया प्रत्यर्थी के पक्ष में नियुक्ति का आदेश जारी करने में कोई बाधा नहीं दिखाई देती है।

13. यहाँ यह बताना प्रासंगिक है कि सूचना के दमन और/या झूठी जानकारी प्रस्तुत करने से संबंधित मुद्दों पर और गिरफ्तार किए जाने के सवाल या किसी आपराधिक मामले के लंबित होने और ऐसे आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि/बरी होने के प्रभाव के बारे में, इस न्यायालय के खंड पीठ के फैसलों के परस्पर विरोधी विचार थे। संदर्भ देने पर, उक्त विवाद का फैसला अवतार सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में किया गया है।

भारत और अन्य, (2016) 8 एससीसी 471 "। न्यायालय ने विभिन्न बातों पर विचार करने के बाद

निर्णयों ने एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया है और पैराग्राफ 38 में कुछ मापदंडों को संक्षेप में प्रस्तुत किया है, जिन्हें इस प्रकार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“38. हमने विभिन्न निर्णयों को देखा है और जहां तक संभव हो उन्हें समझाने और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम अपने निष्कर्ष को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं:

38.1 एक उम्मीदवार द्वारा नियोक्ता को दी गई जानकारी, चाहे वह सेवा में प्रवेश करने से पहले हो या बाद में, दोषी ठहराए जाने, बरी किए जाने या गिरफ्तारी, या किसी आपराधिक मामले के लंबित होने के बारे में, सही होनी चाहिए और आवश्यक जानकारी का कोई दमन या गलत उल्लेख नहीं होना चाहिए।

38.2 गलत जानकारी देने के लिए सेवाओं की समाप्ति या उम्मीदवारी को रद्द करने का आदेश पारित करते समय, नियोक्ता ऐसी जानकारी देते समय मामले की विशेष परिस्थितियों, यदि कोई हो, पर ध्यान दे सकता है।

38.3 नियोक्ता निर्णय लेते समय कर्मचारी पर लागू सरकारी आदेशों/निर्देशों/नियमों को ध्यान में रखेगा।

38.4 यदि किसी आपराधिक मामले में संलिप्तता का दमन या झूठी जानकारी है, जहां आवेदन/सत्यापन प्रपत्र को दाखिल करने से पहले ही दोषसिद्धि या बरी होना दर्ज किया जा चुका है और ऐसा तथ्य बाद में नियोक्ता के संज्ञान में आता है, तो मामले के लिए उपयुक्त निम्नलिखित में से कोई भी उपाय अपनाया जा सकता है:-

38.4.1 तुच्छ प्रकृति के मामले में जिसमें दोषसिद्धि दर्ज की गई थी, जैसे कि कम उम्र में नारे लगाना या एक छोटी सी बात के लिए जिसका खुलासा होने पर किसी पदधारी को विचाराधीन पद के लिए अयोग्य नहीं माना जाता, नियोक्ता अपने विवेकाधिकार में, चूक को माफ करके तथ्य या झूठी जानकारी के इस तरह के दमन की अनदेखी कर सकता है।

38.4.2 जहां मामूली प्रकृति के मामले में दोषसिद्धि दर्ज की गई है, नियोक्ता कर्मचारी की उम्मीदवारी को रद्द कर सकता है या उसकी सेवाओं को समाप्त कर सकता है।

38.4.3 यदि तकनीकी आधार पर नैतिक अधमता या जघन्य/गंभीर प्रकृति के मामले में बरी होने का मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है और यह निर्दोष बरी होने का मामला नहीं है, या उचित संदेह का लाभ नहीं दिया गया है, तो नियोक्ता पूर्ववृत्त के रूप में उपलब्ध सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार कर सकता है, और कर्मचारी के बने रहने के बारे में उचित निर्णय ले सकता है।

पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मित्तल कुमार जाना [जे. के. माहेश्वरी, जे.] 622

621

38.5 ऐसे मामले में जहां कर्मचारी ने एक समाप्त आपराधिक मामले की सच्चाई से घोषणा की है, नियोक्ता को अभी भी पूर्ववृत्त पर विचार करने का अधिकार है, और उम्मीदवार को नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। **38.6** यदि तुच्छ प्रकृति के आपराधिक मामले के लंबित होने के संबंध में चरित्र सत्यापन प्रपत्र में तथ्य को सच्चाई से घोषित किया गया है, तो नियोक्ता, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, अपने विवेक से ऐसे मामले के निर्णय के अधीन उम्मीदवार की नियुक्ति कर सकता है। **38.7** कई लंबित मामलों के संबंध में तथ्य को जानबूझकर दबाने के मामले में ऐसी झूठी जानकारी अपने आप में महत्वपूर्ण होगी और एक नियोक्ता उम्मीदवारी को रद्द करने या सेवाओं को समाप्त करने के लिए उचित आदेश पारित कर सकता है क्योंकि एक व्यक्ति की नियुक्ति जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित थे, उचित नहीं हो सकता है।

38.8 यदि आपराधिक मामला लंबित था लेकिन फॉर्म भरने के समय उम्मीदवार को इसकी जानकारी नहीं थी, तो भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है और नियुक्ति प्राधिकरण अपराध की गंभीरता पर विचार करने के बाद निर्णय लेगा।

38.9 यदि कर्मचारी को सेवा में रखा जाता है, तो दमन या सत्यापन प्रपत्र में गलत जानकारी जमा करने के आधार पर समाप्ति/निष्कासन या बर्खास्तगी का आदेश पारित करने से पहले विभागीय जांच करना आवश्यक होगा।

38.10 दमन या गलत जानकारी के निर्धारण के लिए प्रमाणन/सत्यापन प्रपत्र विशिष्ट सी होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं। केवल ऐसी जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए जिसका विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक था। यदि माँगी गई लेकिन प्रासंगिक जानकारी नियोक्ता के ज्ञान में आती है, तो वास्तविकता के प्रश्न को संबोधित करते समय उसी पर वस्तुनिष्ठ तरीके से विचार किया जा सकता है। हालाँकि, ऐसे मामलों में दमन या गलत जानकारी प्रस्तुत करने के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है क्योंकि इस तथ्य के बारे में पूछा भी नहीं गया था।

38.11 इससे पहले कि किसी व्यक्ति को "सप्रेसियो वेरी" या "सजेशियो फाल्सी" का दोषी ठहराया जाए, तथ्य का ज्ञान उसके लिए जिम्मेदार होना चाहिए।"

14. उक्त मामले के अनुसार, पैरा 38.10 प्रत्यर्थी की सहायता के लिए आता है, क्योंकि इस मामले में, सत्यापन सूची में माँगी गई जानकारी विशिष्ट सी और अस्पष्ट प्रकृति की नहीं थी। प्रत्यर्थी ने विशेष रूप से खुलासा किया है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

जानकारी जो प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। छोट-मोट उद्देश्यों के लिए प्रत्यर्थी को बरी करने के बाद के विकास को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण द्वारा सूचना को दबाने के मुद्दे की अनदेखी करते हुए, निष्पक्षता के सवाल के बारे में निष्पक्ष रूप से विचार करने की आवश्यकता है। यहां तक कि ऐसे मामले में भी जहां लंबित आपराधिक मामले के बारे में जानकारी सच्चाई से प्रस्तुत की गई है और उसमें बरी होने पर, एक नियोक्ता को नियुक्ति पत्र जारी करते समय पूर्ववृत्त पर विचार करने का विवेकाधिकार है। उच्च न्यायालय अवतार सिंह (उपरोक्त) के मामले के पैरा 38.5 के अनुसार नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश नहीं दे सकता था। हमारे विचार में, नियुक्ति का आदेश जारी करना नियोक्ता के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए और उच्च न्यायालय को उक्त विवेक को नहीं छीनना चाहिए था। तदनुसार, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को संशोधित करते हैं।

15. ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम भौतिक जानकारी के दमन के मुद्दे पर न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के निर्णयों को स्वीकार करते हैं। चूंकि प्रत्यर्थी जघन्य/गंभीर अपराध या नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध में शामिल नहीं था, और यह तथ्य कि उक्त आपराधिक मामले में उसे सम्मानजनक रूप से बरी कर दिया गया है, इसलिए, उच्च न्यायालय के आदेश को संशोधित करते हुए, हम अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के मामले पर विचार करने और इस आदेश के पारित होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर पश्चिम बंगाल पुलिस बल में कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति का आदेश जारी करने का निर्देश देते हैं। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि अधिकारी ऊपर की गई चर्चा पर ध्यान देंगे और संभावित उम्मीदवार की उपयुक्तता और पूर्ववृत्त का आकलन करने में अपने विवेक का विवेकपूर्वक प्रयोग करेंगे। यह और स्पष्ट किया जाता है कि नियुक्ति का आदेश जारी होने की स्थिति में, प्रत्यर्थी केवल सेवा में

निरंतरता सहित काल्पनिक लाभों का हकदार होगा और अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों के बराबर शुल्क का भुगतान करेगा और वह अपनी नियुक्ति की तारीख तक वेतन और वापस मजदूरी का हकदार नहीं होगा।

16. तदनुसार, इस अपील का उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।लंबित आवेदन, यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा कर दिया जाएगा।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील का निपटारा किया गया।

दिव्या पांडे